

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी

ई-मेल: asmckaushambi22@gmail-com

वेबसाइट: www-asmckaushambi-in

पत्रांक:- ए०एस०एम०सी / कौशाम्बी / विज्ञापन / 2025-26 / 172

दिनांक- 26/04/25

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित ।

एन०एम०सी०धर्म०सी०आई० मानकों की पूर्ति हेतु स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी के रिक्त पदों पर संविदा (Contractual) आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा ।

उक्त साक्षात्कार विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से प्रत्येक दिवस (अवकाश दिवस छोड़कर) को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी में पूर्वान्ह 11.00 बजे से आयोजित किया जायेगा । इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि साक्षात्कार हेतु अपने समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, शोध प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपप्रव शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त आरक्षण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के एक सेट एवं उपरोक्त लिखित मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हों । आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है ।

S. N.	Name of Specialty	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No.of Posts	Category	No.of Posts	Category	No.of Posts	Category
1	Orthopedics	01	OBC	01	SC	01	OBC
2	Ophthalmology	01	EWS	01	SC	-	-
3	Obstetrics and Gynecology	01	SC	01	UR	-	-
4	Immunohematology and blood transfusion					01	UR
5	Emergency medicine	01	UR	01	OBC	01	SC
6	*Anatomy	01	OBC	-	-	01	UR
						01	OBC
7	Anesthesiology	01	UR	01	UR	01	UR
						01	UR
						01	OBC
8	Oto-rhino-Laryngology	01	SC	01	OBC	-	-
9	Community Medicine	01	UR	01	UR	01	EWS
				01	SC	01	SC
				01	UR	01	UR
10	General Medicine	01	SC	01	UR	01	OBC
				01	OBC	01	UR
						01	OBC
11	General Surgery	01	UR	01	UR	-	-
				01	OBC	-	-
				01	OBC	-	-
12	Pulmonary Medicine			01	EWS		
13	Dermatology, Venereology and Leprosy	--	--	01	SC	--	--
14	Pediatrics	01	OBC	01	OBC	01	SC
				01	UR	01	OBC
15	Pathology	01	UR	-	-	01	OBC
						01	UR
						01	OBC
16	*Pharmacology	01	SC	01	SC	01	EWS
17	* Physiology	-	-	01	UR	-	-
						01	SC
18	Forensic Medicine	01	UR	01	OBC	01	UR
19	*Biochemistry	01	UR	01	OBC	01	OBC
						-	-
20	*Microbiology	01	OBC	-	-	01	SC
						01	UR
21	Radiodiagnosis	01	UR	01	OBC	01	SC
22	Psychiatry	--	--	01	EWS	--	--
	Statistician #	-	-	-	-	01	UR
	RHTC #	-	-	-	-	01	SC
	UHTC #	-	-	-	-	01	OBC
Total		17		24		29	

(Signature)

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं-

संविदा पर तैनात होने वाले अभ्यर्थी की संविदा अवधि 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक ही मान्य होगी। नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल को पुनः बढ़ाया जा सकता है। नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन / भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

1. शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71-1-18-जी-63 /2018, दिनांक 21.11.2019 एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-109/2024/176/71-1-20241 /71-1001/804 /2020 दिनांक 18 जुलाई 2024 में पूर्व से निर्धारित नियत मानदेय में पुनर्निर्धारित नियम मानदेय आचार्य - 220000/- सह आचार्य - 160000/- एवं सहायक आचार्य- 120000/- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक को देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय - समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न-भिन्न शासनादेशानुसार होगी।

2. इस हेतु आवेदक को [Medical Council of India / National Medical Commission] Minimum Qualification for Medical Teachers in Medical Institutions Regulations] 1998 द्वारा निर्धारित समय-समय पर जारी संशोधन/नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।

3. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर /शासनादेश संख्या-50/2019/4/1/2002 क-2/2019 टी०सी०-1, दिनांक 13.08.2019 का अनुपालन मान्य होगा। यदि किसी विशिष्टता में कैटेगरी का अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त पद का अन्य कैटेगरी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी के द्वारा नियमानुसार भरा जायेगा।

5. शासनादेश संख्या - 562/71-1-2020-जी -63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य 60 वर्ष, सह आचार्य -64 वर्ष, आचार्य -68 वर्ष होगी।

6. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।

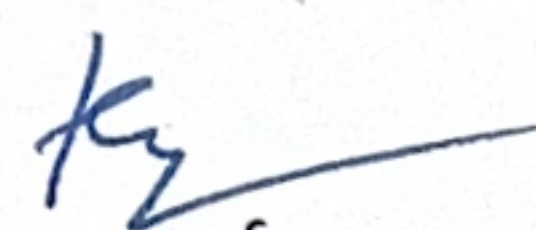
7. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।

8. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है। यदि उनके विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

9. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

10. नियमित चिकित्सा शिक्षकों के नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या- ए०एस०एम०सी०/कौशाम्बी/2024-25/2157 दिनांक 16.01.2025 द्वारा विभागीय वेबसाइट तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की वेबसाइट के साथ विभिन्न समाचार पत्रों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। नियमित चिकित्सा शिक्षकों के चयन होने तक संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

नोट- विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से रिक्त पद भरे जाने तक प्रत्येक दिवस (अवकाश दिवस छोड़कर) को पूर्वान्ह 11.00 बजे से साक्षात्कार स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में आयोजित किया जायेगा।



प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,

कौशाम्बी।

तददिनांक

पृष्ठांकन -ए०एस०एम०सी०/कौशाम्बी/2025-26/

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठवाँ तल, उ०प्र० लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी।
6. सूचना पट्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी।
7. गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,

कौशाम्बी।